न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस0पी0सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 11/2013

बउनवान

कजोडी बाई पुत्री हीरागिरी पत्नी भोजराज उम्र 45 वर्ष जाति–गोस्वामी निवासी महुवा हाल निवासी–बारां जिला–बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

1– रामजीत बाई पत्नी कन्हैयालाल
2– राजेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल
3– जितेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल

जातियान गोस्वामी निवासीगण महुवा तहसील–मॉगरोल जिला–बारां हाल बारां

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल (रेस्पोंडेंटस्)

<u>अपील विरूद्व तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 387 दिनांक 29.05.2006 वाके ग्राम महुवा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :–1. श्री राजेश कुमार गुप्ता, अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक (रेस्पोंडेंटस्)

<u>निर्णय दिनांक– 30.07.2018</u>

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 387 दिनांक 29.5.2006 वाके ग्राम महुवा ने अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि खाता संख्या 216 की आराजी ख0नं0 539 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 542/973 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 600 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 705 रकबा 1.00 है0, ख0नं0 722 रकबा 0.25 है0 कुल किता 5 रकबा 1.61 है0 वाके ग्राम महुवा तहसील मॉगरोल में अवस्थित है जिसका इन्तकाल दर्ज किया गया है जो कि तहसीलदार मॉगरोल ने कानूनी तथ्यों के विपरीत तस्दीक किया है। उक्त इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व खातेदारों अपीलांटा व जगन्नाथीबाई पुत्री हीरागिरी, मन्नागिरी पुत्र माधोगिरी का नाम खाते में से हटा कर रेस्पोडेंट नं0 1 ता 3 के नाम खाते में दर्ज कर, सम्पूर्ण भूमि खाता संख्या 216 रेस्पोंडेंट के नाम खाते दर्ज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा इन्तकाल नं0 387 सहायक कलक्टर, बारां के निर्णय व आदेश दिनांक 31.3.2001 की पालना में खोला गया है जो कि मनमर्जी से गलत खोला गया है। सहायक कलक्टर द्वारा निर्णय में आदेशित किया गया था कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

" विवादित भूमि मद में वर्णित भूमि पर वादीगण (रेस्पों क्रम 1 ता 3) का नाम सम्मिलित व रेकार्ड में उनका नाम प्रविष्ट किया जावे" जबकि तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा इन्तकाल में पूर्व खातेदारों अपीलांटा व अन्य का नाम खाते से हटाकर उनके स्थान पर रेस्पों क्रम 1 ता 3 का नाम दर्ज कर दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलांटा पूर्व खातेदार है तथा निर्णय दिनांक 31.3.2001 में अपीलांटा का नाम खाते से खारिज करने का कोई आदेश नहीं दिया था। किन्तु तहसीलदार मॉगरोल व रेस्पोंडेंट क्रम 1 ता 3 द्वारा आपसी मिलीभगत करके अपीलांटा का नाम खाते से खारिज कर, रेस्पोंडेंट के नाम गलत इन्तकाल दर्ज कर अपीलांटा को खातेदारी से वंचित कर दिया है, जो काबिले निरस्त योग्य है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 387 दिनांक 29.5.2006 ग्राम महुआ निरस्त कर सहीं इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामा0 रेकार्ड प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व रेस्पोडेंटस् की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांटा व जगन्नाथीबाई, हीरागिरी की पुत्रियॉ है। जिनके मन्नागिरी पुत्र माधोगिरी की संयुक्त खातेदारी में कुल किता 5 रकबा 1.61 हैक्टर हिस्सा 1/2, 1/2 आराजी अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा सहायक कलक्टर, बारां के दावें डिक्री में पारित आदेश दिनांक 31.3.2001 की पालना में इन्तकाल नं. 387 दिनांक 29.5.2006 को खोला गया है, उक्त इन्तकाल पूर्णतया विधि विरूद्ध व कानूनी प्रावधानों के विपरीत खोला गया है। सहायक कलक्टर, बारां ने अपने निर्णय में वादीगण/रेस्पों0 के पति व पिता कन्हैयालाल को गोदपुत्र माना है तथा वादीगण (रेस्पों0 क्रम 1 ता 3) का नाम मृतक हिरागिरी के खाते एवं हिस्से में सम्मलित किये जाने व रेकार्ड में वादीगण का नाम प्रविष्ट किये जाने के आदेश पारित किये गये है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सहायक कलक्टर, बारां के निर्णय की गलत व्याख्या करते हुये, रेस्पोंडेंट की मिलीभगत से अपीलांटा व जगन्नाथीबाई जो हिरागिरी की वैधानिक जायन्दा पुत्रियॉ व खातेदार है, उनका नाम हटाकर, उनके स्थान पर वर्णित आराजी रेस्पों0 क्रम 1 ता 3 के खाते दर्ज कर दी है। जबकि सहायक कलक्टर, बारां ने अपने आदेश में अपीलांटा व जगन्नाथीबाई जो पूर्ववत हिरागिरी की पुत्रियॉ व खातेदार है, उनके साथ रेस्पोंडेंट क्रम 1 ता 3 का नाम सम्मिलित किये जाने व राजस्व रेकार्ड में अमल करने के आदेश दिये है।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से अपीलांटा जो पूर्ववत खातेदार के अधिकार समाप्त कर दिये है, जिन्हे कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णरूपेण अवैध, मनमाना व निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 387 दिनांक 29.5.2006 निरस्त फरमाया जाकर, पत्रावली अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय को सहायक कलक्टर, बारां के निर्णय की पालना में सहीं इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पों0 ने अपीलांटा अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि रेस्पों0 के पिता व पति कन्हैयालाल मृतक हीरागिरी के गोदपुत्र थें। रेस्पों0 ने इस बाबत अधिकार तय करने हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर, बारां में हक घोषणा का दावा किया था, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 31.3.2001 को दावा डिक्री हुआ है। जिसमें कन्हैयालाल को मृतक हीरागिरी का गोदपुत्र वैधानिक उत्तराधिकारी माना है तथा उनके हक व हिस्से की आराजी को गोदपुत्र होने तथा रेस्पों0 वैधानिक वारिस होने से इन्तकाल नं0 188 अवैधानिक होने से निरस्त कर, रेस्पों0 वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा न्यायालय डिक्री की पालना में उक्त इन्तकाल तस्दीक किया है। उक्त इन्तकाल में कोई विधिक त्रुटि व भूल नहीं हुई है। उक्त इन्तकाल विधिवत तस्दीक हुआ है। यदि अपीलांटा को उक्त न्यायालय डिक्री से कोई अप्रसन्नता थी तो तत्समय उक्त आदेश व डिक्री की सक्षम न्यायालय में अपील करना चाहिये था। अतः अपीलांटा की अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि आराजी ख0नं0 539 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 542/973 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 600 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 705 रकबा 1.00 है0, ख0नं0 722 रकबा 0.25 है0 कुल किता 5 रकबा 1.61 है0 वाके ग्राम महुवा तहसील मॉगरोल की भूमि है जिसपर पक्षकारान् में विवाद है। अपीलांटा का बहस के दौरान मुख्य तर्क है कि सहायक कलक्टर,बारां के आदेश में रेस्पों0 को दत्तक घोषित कर, उनका नाम भी वर्णित भूमि में सम्मिलित करने एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजी से अपीलांटा का नाम हटा कर रेस्पों0 के वर्णित आराजी का इन्तकाल दर्ज कर दिया है जबकि अपीलांटा वैधानिक वारिस है। इसके विपरीत रेस्पों0 अभिभाषक का तर्क है उक्त इन्तकाल सहायक कलक्टर,बारां के आदेश दिनांक 31.3.2001 की पालना में खोला गया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अध्ययन से विदित होता है कि सहायक कलक्टर, बारां द्वारा अपने आदेश में रेस्पों0 के पिता व पति कन्हैयालाल को मृतक हिरीगिरी का दत्तक घोषित कर, इन्तकाल नं0 188 को निरस्त करते हुये, उसके वारिसान वादीगण/रेस्पों0 का नाम सम्मलित कर, राजस्व रेकार्ड में प्रविष्ट करने के आदेश पारित किये है। उक्त आदेश में यह नहीं लिखा है कि हीरागिरी के वैधानिक वारिस जो अपीलांटा व जगन्नाथीबाई है, उनके नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जावे। मात्र रेस्पों0 के नाम सम्मिलित किये जाने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा उक्त आदेश दिनांक 31.3.2001 की गलत व्याख्या कर, त्रुटिपूर्ण इन्तकाल संख्या 387 दिनांक 29.5.2006 को तस्दीक किया गया है जो अविधिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.05.2006 वाके ग्राम महुआ को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारान् की उपस्थिति में न्यायालय सहायक कलक्टर, बारां द्वारा पारित आदेश व डिक्री दिनांक 31.3.2001 की अनुपालना में वर्णित आराजी का अपीलांटा व अन्य वारिसान् तथा रेस्पों0 का सहीं हिस्सा दर्ज कर, इन्तकाल तस्दीक किया जावे। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष दिनांक 27.08.2018 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official